

अचल सम्पत्ति की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। सर्व-साधारण को और विशेष रूप से ऋणी/जमानतदार को विशेषतः यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक ऑफ़ इंडिया/प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का अधिग्रहण भौतिक रूप से बैंक ऑफ़ इंडिया- प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित ऋणी/जमानतदार से बैंक ऑफ़ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु दिनांक 09.09.2026 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि धरोहर राशि संबंधित सम्पत्ति के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।
धरोहर राशि जमा कराने की तिथि 20.08.2026 प्रातः 10.00 बजे से अंतिम तिथि 09.09.2026 सायं 5.00 बजे तक है।

शाखा कार्यालय	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(ए) 13(2) नोटिस की दिनांक (बी) बकाया ऋण राशि दिनांक तक (सी) कब्जा दिनांक (डी) कब्जे का प्रतीक प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	आरक्षित मूल्य (रूपये लाखों में) धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की दिनांक व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार का विवरण
माकड़वाली रोड़, अजमेर सम्पर्क: 8849398334	संपत्ति के सभी अंश व हिस्से गठित होते हैं जिसमें मकान संख्या AMC 19/610= 9/184= 5/670, कमला बावड़ी, बावूगढ़ गंज, अजमेर, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 178.25 वर्गफुट है। उप-जिला अजमेर और जिला अजमेर के अंतर्गत पंजीकृत जो श्री तोकीर रहमान अंसारी के नाम से है। सीमाएँ: उत्तर में- 8 फीट चौड़ी गली, दक्षिण में- मुन्ना लाल का मकान, पूर्व में- प्रताप यादव का मकान, पश्चिम में- संपत्तियों का शेष भाग।	(ए) 05.07.2025 (बी) रुपये 30,43,446.85 (13(2) नोटिस के अनुसार अनुबंधनात्मक बकाया) + आगे का ब्याज व प्रभार (सी) 20.09.2025 (डी) भौतिक कब्जा	रुपये 30,73,927/- रुपये 3,07,393/- रुपये 10,000/-	09.09.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
श्री तोकीर रहमान अंसारी पुत्र श्री रहमान गनी, मकान नंबर 472/43, गली नंबर 1, लोंगिया अस्पताल, गांधी नगर, अजमेर (राजस्थान) 305001			निरीक्षण की दिनांक: 02.09.2026		

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म (पीएसबी एलायंस) की वेबसाइट अर्थात् (1) <https://baanknet.com> (2) www.bankofindia.bank.in पर देखें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन विक्रय की 15 दिवस की वैधानिक सूचना एतद्वारा ऋणी/जमानतियों एवं बंधककर्ता को नीलामी तिथि से पूर्व उक्त वर्णित बकाया राशि मय ब्याज एवं खर्चों को भुगतान करने हेतु नोटिस दिया जाता है जिसके अभाव में उक्त सम्पत्ति बकाया राशि की वसूली हेतु विक्रय कर दी जावेगी तथा बकाया राशि मय ब्याज व खर्चों के वसूल की जावेगी।

दिनांक: 20/08/2026

स्थान:- अजमेर

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ इंडिया